International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 07-10-2021, Accepted: 22-10-2021, Published: 08-11-2021
Volume 7, Issue 6, 2021, Page No. 10-12

जीवन साथी चयन के बदलते स्वरूप; एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

स्वराज पाल
शोधार्थी, शासकीय म.ल.बा. उत्कृष्ट महाविद्यालय, जीवजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
समाज में विवाह आज भी महत्वपूर्ण संस्था है। भारतीय समाज व संस्कृति को बनाए रखने में विवाह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विवाह के माध्यम से युवक–युवतियों (जोड़ों) को समाज में एक नई प्रस्थिति प्राप्त होती है। पश्चिमी शिक्षा व सामाजिक–आर्थिक बदलाव ने जीवनसाथी के चयन में व्यापक बदलाव किए हैं तथा जीवनसाथी की चयन प्रक्रिया में यह परिवर्तन देखे जा सकते हैं। भारतीय समाज में आज भी योजित विवाह (अरेंज मैरिज) का अपना महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है तथा समाज में जीवनसाथी के चयन के निर्णय जो परंपरागत या ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक चरित्र के थे, में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। पहले माता–पिता व रिश्तेदारों की जीवनसाथी के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, जो आज बदलकर स्वयं के निर्णय व संयुक्त निर्णय (जिसमें माता–पिता की सहमति व युवक–युवतियों की पसंद को भी ध्यान में रखा जा रहा है) की ओर परिवर्तित हुई हैं। साथ ही विवाह हेतु साथी चयन में आयु, धर्म, जाति, व्यवसाय आदि के साथ–साथ प्रत्याशियों की सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, सौंदर्य, शिक्षा आदि को महत्व दिया जाने लगा है।जीवन साथी चयन में युवक–युवतियों के निर्णय में भागीदारी के साथ साथ पुरुष एवं महिला प्रत्याशियों के निर्णय एवं जीवन साथी के चयन के आधारों में बदलाव भी साफ दिखाई देते हैं। वर्तमान में देखने में आया है कि वर वधु अपने लिए जीवनसाथी के चुनाव स्वयं कर रहे हैं जिसमें वह परंपरागत आधारों की तुलना में नवीन या व्यक्तित्व विशेषता संबंधी आधारों को प्रमुखता दे रहे हैं। किंतु यह परिवर्तन केवल शहरी क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं जबकि रूढ़ीवादी ग्रामीण क्षेत्र में आज भी जीवनसाथी के चयन के परंपरागत तरीके ही विद्यमान है। शहरी क्षेत्र में अंतरजातीय अंतर धार्मिक विवाह भी दिखाई देते हैं किंतु रूढ़ीवादी है ग्रामीण क्षेत्र में यह ना के बराबर हैं।

मूल शब्दः योजित विवाह, जीवनसाथी, चयन प्रक्रिया, संयुक्त निर्णय, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव

प्रस्तावना
विवाह, मानव समाज की एक मौलिक संस्था है और इसका संबंध मानव के संपूर्ण जीवन से हैं। विवाह दो विपरीत लिंग के बीच समाज द्वारा अनुमोदित, औपचारिक तथा अपेक्षाकृत स्थायी संबंधों एवं नियमाचारो की एक व्यवस्था हैं जो उत्पन्न संतान को वैधता प्रदान करती है तथा पारस्परिक दायित्व एवं अधिकारों द्वारा उन्हें एक सूत्र में बांधे रखती हैं। मदन एवं मजूमदार (2002) के अनुसार परिवार के दायरे के बाहर अवैध रूप से यौन संतुष्टि की संभावनाएं हर समाज में बनी रहती हैं। इससे बचने एवं समाज द्वारा स्वीकृत वैध यौन संतुष्टि, विवाह जैसी संस्था की स्थापना का मूल कारण है। यद्यपि यही एकमात्र कारण नहीं है किन्तु स्वस्थ समाज और व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए यौन इच्छा की पूर्ति (संतुष्टि) भी आवश्यक है तथा इसकी पूर्ति किस प्रकार की जाए यह समाज की संस्कृति एवं परंपराओं तय करती है। समाज में यौन संबंध बहुत अधिक नियंत्रित होते हैं, कौन कब और किससे यह संबंध रखेगा इसका निर्धारण समाज द्वारा किया जाता हैं साथ ही विवाह संस्था यौन संबंधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य बनाई है। दूसरी ओर विवाह का अर्थ केवल यौन सुख नहीं है बल्कि यह सांस्कृतिक प्रणालियों के समूह का वह माध्यम है जिसके द्वारा संबंधों को स्थापित करना ,परिवार को बनाये रखा जाता हैं।

विवाह को जॉनसन, वेस्टरमार्क, कापड़िया आदि विद्वानों ने परिभाषित किया। वेस्टरमार्क (1891) ने विवाह का अध्ययन कर विवाह का प्रारंभिक रूप "एक विवाह" माना हैं। जॉनसन (1960) विवाह को एक स्थिर संबंध के रूप में देखते है जिसमें व्यक्ति समाजिक रूप से मान्य यौन संतुष्टि व प्रजनन का अधिकार प्राप्त करता हैं। शर्मा (2006) का अध्ययन है कि विवाह एक पुरुष और स्त्री के बीच यौन संबंध से कहीं अधिक हैं तथा बोगार्डस "विवाह" को स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था के रूप में देखते हैं। भारतीय विवाह को परिवार और समुदाय के प्रति एक सामाजिक दायित्व माना हैं साथ ही विवाह दो व्यक्तियों के बीच का मेल ना हो कर दो परिवारों का मेल हैं। विवाह लगभग सर्व व्यापक सामाजिक प्रथा हैं। भारत के विभिन्न समुदायों में इसके अलग–अलग मायने रहे हैं, हिंदुओं में विवाह एक सामाजिक–धार्मिक दायित्व है। यह सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। साथ ही विवाह का महत्व इसलिए भी है कि यह जीवन की चार आश्रम वाली हिंदू व्यवस्था में, व्यक्ति को गृहस्थ अवस्था (आश्रम) में प्रवेश करने का अवसर देती है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ मे विवाह के मुख्यतः तीन उद्देश्य धर्म (दायित्व),प्रजा (संतानोत्पत्ति),और रति (यौन सुख) बताते गए हैं। इस्लाम में विवाह को "सुन्नाह"(आवश्यकता) माना जाता है जिसे प्रत्येक मुसलमान को पूरा करना होता है। अन्य धर्मों की भांति ईसाई धर्म भी विवाह को जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानता है और पति–पत्नी की परस्पर संबंध तथा एक–दूसरे के प्रति दायित्व को निभाने पर बल देता है।

साथी ही इस (विवाह) सार्वभौमिक संस्था का विस्तृत अध्ययन प्रमुख समाज शास्त्रियों तथा मानव शास्त्रियों ने किया और पाया की इस सार्वभौमिक संस्था के कुछ सामान्य प्रकार व नियम हैं जो प्रत्येक समाज मे दिखाई देते हैं भारतीय संदर्भ में मदन एवं मजूमदार (2002), शर्मा (2006), कापड़िया (1963) , जैन (1996), ओबरॉय (1993), दोषी एवं जैन (2002) आदि ने विवाह के प्रकारों व नियमो का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार विवाह के प्रकारों में मुख्य रूप से एक विवाह और बहुविवाह प्रचलित हैं। बहुविवाह को मुख्यता दो भागों में बांटा गया है बहुपति विवाह और बहुपत्नि विवाह।

शर्मा (2006) के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम–1955 के पहले भारत में दोनों प्रकार के विवाह का प्रचलन देखा जाता था किंतु 1955 के अधिनियम के बाद हिंदुओं व संबंधित अन्य समुदायों

(जैन, सिख, बौद्ध, आदि) में बहुविवाह को निषिद्ध कर दिया गया हैं। अब हिंदू व संबंधित समुदायों में एक विवाह को ही कानूनी मान्यता प्राप्त हैं। ईसाई और पारसी समुदाय में एक विवाह पहले से ही पाया जाता रहा हैं वही इस्लाम में बहुविवाह को धार्मिक एवं कानूनी मान्यता प्राप्त हैं।

मानव शास्त्री मदन एवं मजूमदार (2002 ने बताया कि जनजातीय समाज में एक विवाह और बहुविवाह दोनों प्रचलित है। एकल विवाह का प्रचलन लगभग सभी जनजतियों मे हैं वही बहुविवाह के क्रम में बहुपत्नि विवाह नागा, गौड, बैगा, टोडा, लुशाई तथा बहुपति विवाह तियान, टोडा, कोटा, लद्दाखी बोटा आदि में प्रचलित है।

दूसरी ओर विवाह के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं "जीवनसाथी" जिसके चयन एवं प्राप्ति हेतु अलग–अलग समाजों में अलग–अलग नियम व प्रतिमान प्रचलित रहे हैं। इन्ही के आधार पर समुदाय/समाज में जीवनसाथी का चयन किया जाता रहा है। जीवनसाथी प्राप्त करने या जीवनसाथी के चयन के कई महत्वपूर्ण नियम व तरीके समाज में प्रचलित रहे हैं इसी के आधार पर विभिन्न समुदायों/समाजों में जीवनसाथी का चयन किया जाता रहा है दोषी एवं जैन (2002), शर्मा (2006), मदन मजूमदार (2002),आदि ने अपने अध्ययन में जीवनसाथी चयन के नियमों की चर्चा की है जिसमें अन्तर्विवाह के नियम (एक जाति, जनजाति, समूह,समुदाय के सदस्य उस विशिष्ट एवं निर्धारित समूह मे ही विवाह करेगा जिसका वह सदस्य हैं यह समूह जाति, प्रजाति, धार्मिक समूह हो सकता हैं) व बहिर्विवाह के नियम (गोत्र, पिण्ड, प्रवर व कही–कही ग्राम) और निकटाभिगमन निषेध (निकट सम्बन्धियों के बीच विवाह का निषेध), अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह आदि की चर्चा की गई हैं।

मानवशास्त्री मदन एवं मजूमदार (2002) ने भारतीय जनजातियों में जीवन साथी चयन के आंठ प्रमुख प्रचलित प्रकारों को सूचीबद्ध किया है जिसमें परिवीक्षा विवाह, हरण विवाह ,परीक्षा विवाह, क्रय विवाह, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, सहमति/सहपालन विवाह, हठ विवाह आदि प्रमुख है।

वर्तमान में विवाह के स्वरूप में बहुत अधिक परिवर्तन आया हैं। संस्कृति के भूमंडलीकरण, बदलती अर्थव्यवस्था और पश्चिमीकारण के प्रभाव विवाह संस्था पर साफ देखा जा सकता हैं। लिव–इन–रिलेशनशिप, एकल माता और एकल पिता के रूप मे नए विचार, समलैंगिक विवाह आदि का प्रचलन बढ़ा हैं साथ ही साथ विवाह के तरीके और प्रकारों मे भी नवीन बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।

अध्ययन क्षेत्र एवं शोध प्ररचना

शोध प्ररचना, किसी भी अनुसंधान को संपन्न करने के पूर्व उसकी संपूर्ण प्रक्रिया की योजनाबद्ध रूपरेखा हैं अतः अध्ययन में अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक दोनों शोध प्ररचनाओं का उपयोग किया गया हैं ताकि अनुसन्धान से संबन्धित नवीन तथ्यों एवं विचारो की खोज की जा सके। अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के इंदौर नगर का भंवरकुआं क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र के 50 युवक–युवतियों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है जिनकी आयु 19 वर्ष से 25 वर्ष के बीच है। अध्ययन में ऐसे प्रत्याशी शामिल है जो वर्तमान में इंदौर विश्वविद्यालय व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अध्यनरत है।

तथ्य संकलन एवं प्रक्रियाकरण

तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्त्रोत का सहारा लिया गया हैं। द्वितीयक स्रोत में विषय से संबंधित शोध आलेख, जर्नल, पुस्तके, वेबसाइट, समाचार पत्र, आदि का उपयोग किया गया हैं। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु अनुसूची तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया हैं। अनुसूची के माध्यम से चयनित लाभार्थियों का साक्षात्कार लिया गया हैं। तथ्य संकलन की अवधि 15 जनवरी 2020 से 15 फरवरी 2020 तक रही हैं। साक्षात्कार एवं अनुसूची के माध्यम से लाभार्थियों की सामान्य जानकारी एवं उनकी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न जिनमें उनकी आयु, धर्म, जाति, शैक्षणिक स्थिति, व्यवसाय, परिवार की प्रकृति एवं जीवन साथी चयन हेतु अपनाए जाने वाले प्रमुख आधारों आदि से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया हैं।

सारणी 1: जीवनसाथी के चयन मे प्रत्याशियों द्वारा अपनाये गये आधार

जीवनसाथि चयन के आधार	आवृति	प्रतिशत
समाजिक स्तर	10	20.00
आर्थिक स्तर	15	30.00
शिक्षा	17	34.00
सौन्दर्य	8	16.00
कुल	50	100.00

जीवनसाथी चयन के प्रमुख आधारों को अध्ययनकर्ता द्वारा चार विकल्पों में समाहित किया गया है जिसे सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, शिक्षा, सौंदर्य के रूप में परिभाषित किया गया हैं। अध्ययन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों से जब पूछा गया कि आप जीवनसाथी के चयन मे कौन से आधार को प्रमुखता देंगे या आप किस आधार को प्रमुख मानते हैं, उनकी प्रतिक्रिया अनुसार 34.00 प्रतिशत (कुल 50 से 17) प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने जीवनसाथी के चयन में ''शिक्षा' आधार को प्राथमिकता दी हैं, 30.00 प्रतिशत (कुल 50 से 15) प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने 'आर्थिक स्तर' को सर्वाधिक महत्व दिया हैं। वहीं 20.00 प्रतिशत (कुल 50 मे से 10) प्रत्याशी ऐसे मिले हैं

जिन्होंने अन्य आधारो की तुलना मे 'सामाजिक स्तर' को अधिक महत्व दिया हैं तथा 16.00 प्रतिशत (कुल 50 मे से 8) प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने 'सौंदर्य' के विकल्प को अन्य विकल्पों से अधिक महत्त्व दिया है।

सारणी 2: जीवनसाथी चयन के निर्णय मे महत्वपूर्ण भूमिका

जीवनसाथी चयन मे निर्णय	युवक	युवति	आवृति	प्रतिशत
स्वयं द्वारा	9	4	13	26.00
माता–पिता एवं रिश्तेदारों द्वारा	4	14	18	36.00
संयुक्त चयन द्वारा	12	7	19	38.00
कुल	25	25	50	100.00

प्रस्तुत सारणी में प्रत्याशियों द्वारा जीवनसाथी के चयन में अंतिम निर्णय के विषय में प्रतिक्रिया जानी गई। 26.00 प्रतिशत प्रत्याशियों ने माना कि जीवनसाथी चयन में अंतिम निर्णय वे स्वयं लेंगे। 36.00 प्रतिशत प्रत्याशियों ने माना कि जीवनसाथी चयन में अंतिम निर्णय उनके माता–पिता लेंगे तथा 38.00 प्रतिशत प्रत्याशियों का कहना कि जीवनसाथी चयन का निर्णय संयुक्त चयन के आधार पर लिया जाएगा।

सारणी से एक तथ्य यह भी सामने आया हैं कि स्वयं के द्वारा जीवनसाथी चुनाव के निर्णय में पुरुष प्रत्याशियों की संख्या अधिक रही वही इस संबंध में महिला प्रत्याशियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। साथ ही अधिकतर महिला प्रत्याशियों (25 मे से 14) ने माना है कि उनके जीवनसाथी का चयन उनके माता–पिता एवं रिश्तेदारों द्वारा किया जाएगा।

अध्ययन परिणाम एवं सुझाव

1. अध्ययन मे पाया गया कि युवक और युवतियों के चयन आधार भी अलग–अलग हैं। जहाँ युवक, शिक्षित एवं पारिवारिक पत्नी चाहता है जो कर्तव्यनिष्ठ तथा मृदुभाषी हो

वही युवतियाँ छोटा परिवार, एक ही नगर मे विवाह, अच्छी शिक्षा व आर्थिक स्थिति को प्रमुखता देती हैं।

2. अध्ययन निष्कर्ष इस बात का समर्थन करते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के अपने भावी जीवन साथी चयन में वांछित गुणों के महत्व के स्तर में अंतर होता हैं। पुरुष सौंदर्य और रंग को, वही महिलाएँ कैरियर, चरित्र और बौद्धिक लक्षण जैसे नौकरी मे होना, कैरियर उन्मुख और अच्छी शिक्षा के महत्व पर जोर देती हैं।
3. भारत में बढ़ते शहरीकरण, उभरते मध्यम वर्ग, शिक्षा, आधुनिक व्यवसायों में महिलाओं के रोजगार आदि के कारण पारंपरिक चयन प्रणाली में बदलाव आया हैं। आज जीवन साथी चयन के मौजूदा पैटर्न बदल रहे हैं आज परिवारिक मानदंडों से जुड़े महत्व की डिग्री में गिरावट आयी है प्रत्याशी अपने भावी जीवनसाथी के बारे में अपनी व्यक्तिगत वरीयताओं को जैसे शिक्षा, व्यवसाय और व्यक्तित्व जैसे मानदंडों को अधिक महत्व दे रहे हैं।
4. जीवनसाथी चयन के संदर्भ में, युवतियों की तुलना में युवक निर्णय लेने मे अधिक स्वतन्त्रत दिखे। ऐतिहासिक रूप से भारत में माता–पिता ही जीवनसाथी चयन का निर्णय करते आए हैं यह भारत मे साथी चयन का सबसे सामान्य रूप रहा है किन्तु वर्तमान में संयुक्त चयन का प्रभाव बढ़ा हैं। अध्ययन मे पाया गया कि युवक–युवतियाँ निर्णय प्रक्रिया के एतिहासिक पितृसत्तात्मक चरित्र को अब चुनौती दे रहे हैं तथा अब वे जीवनसाथी के चयन संबंधी निर्णय के प्रति अधिक मुखर हुए हैं। वही माता–पिता व रिश्तेदार भी गैर दबाव पूर्ण रवैया अपनाते हुए साथी चयन मे प्रत्याशियों का सहयोग कर रहे हैं तथा वे भी प्रत्याशियों की आकांक्षाओं, बदलती वरीयताओं और जरूरतों को ध्यान मे रखते हुए अधिक संवेदनशील हुए हैं।
5. अध्ययन के अनुसार निर्णय लेने वाली सत्ता मूल रूप से माता–पिता के हाथों से स्थानांतरित हो रही हैं। शिक्षा के बढ़ने, नगरीकरण और बदलती सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बढ़ाया हैं, जिससे युवा वर्ग साथी चयन मे अपनी भागीदारी स्पष्ट कर रहे है तथा आज संयुक्त चयन का महत्व बढ़ा हैं।

संदर्भ सूची

1. Altehenger JE. Between StateAnd Service Industry: Group And Collective Wedding In Communist Shanghai,1949-1956. Twentieth-Century China,2015:40(1):48-68.
2. Doshi SL, Jain PC. Samajshashtra Nai Dishaye. Jaipur: National Publication, 2002.
3. Jain S. Bharat Me Pariwar VivahAur Natedari. Jaipur: Rawat Publication, 2006.
4. Johnson HM. A systematic introduction. Delhi: Allied Publication, 1960.
5. Kapadia KM. Marriage and Family in India. London: Oxford University Press, 1966.
6. Leach E. Polyandry, InheritanceAnd the Definition of Marriage. Man: Royal Antrhropological Institute, 1955, 55.
7. Lobo L, Bharti K. MarriageAnd Divorce In India Changing Concept And Practices. New Delhi: Manohar Publication, 2019.
8. Majumdar DN, Madan TN. An Introduction To Social Anthropology. Noida: Mayur Paperbacks, 2002.
9. Prabhu PH. Hindu Social Organization. Delhi: Papular Prakashan, 1963.
10. Reed MN. The Persistence of Arranged Marriage in Urban India: New Evidence from the Delhi National Capital Region. Annual Meeting of the Population Association of America, 2019.
11. Shah AM, Desai IP. Division And Hierarchy An Overview Of Caste In Gujrat. Delhi: Hindustan Publication Corporation, 1988.
12. Sharma KL. Bhartiya Samajik Sanrachana Evam Parivartan. Jaipur: Rawat Publication, 2006.
13. Westermarck E. the history of humen marriage. london: macmillan And co, 1894.